



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

**कादर नवाज़ ख़ान**  
कार्यकारी कुलसचिव  
**Kadar Nawaz Khan**  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-54 / 2020  
दिनांक : 17.03.2020

**कार्यालयादेश**

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2020 को जारी किये गये पत्र के आलोक में कार्यालयादेश क्रमांक 003 / 2003 / का.आ. / 02-52 / 2020 दिनांक 15.03.2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय में संचालित सभी कक्षाएँ दिनांक 22.03.2020 तक बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसे विस्तारित करते हुए दिनांक 31.03.2020 तक विद्यार्थियों/शोधार्थियों के लिए सभी कक्षाएँ बंद रहेगी। साथ ही लीला लैब और केंद्रीय पुस्तकालय का वाचन कक्ष भी दिनांक 31.03.2020 तक बंद रहेगा। केंद्रीय पुस्तकालय से पुस्तक निर्गत करना निर्धारित समय में यथावत जारी रहेगा।

वर्धा मुख्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यालय/संकाय/विभाग/केंद्र उक्त अवधि में यथावत खुले रहेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**कादर नवाज़**  
(कुलसचिव)

17/03/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली